

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक: प.10(26)नविवि/3/2000

जयपुर, दिनांक: यथा ई-हस्ताक्षरित

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12.12.2024 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अन्तर्गत अनुमोदित डीडवाना मास्टर प्लान-2023 की समयावधि दिनांक 31.12.2025 को समाप्त हो गई है, को एतद्द्वारा 01 वर्ष/दिनांक 31.12.2026 अथवा नया मास्टर प्लान जारी होने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है।

यह मास्टर प्लान इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16.08.2000 के द्वारा अधिसूचित "डीडवाना नगरीय क्षेत्र" के लिए लागू रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगर विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, नगर परिषद, डीडवाना।
7. जिला कलक्टर, डीडवाना।
8. अतिरिक्त निदेशक/प्रौग्रामर, नविवि को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं तत्पश्चात् गजट प्रकाशन की कॉपी विधानसभा शाखा को विधानसभा की पटल पर रखने हेतु भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम

Validity unknown

Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To
Government
Date: 2026.03.17 17:47:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21065799

